

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2023

सं. 02/2023- एकीकृत कर

सा.का.नि. 708(अ).— केंद्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 31) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अक्टूबर, 2023 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. सीबीआईसी-20016/29/2023-जीएसटी]

राघवेन्द्र पाल सिंह, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2023

No. 02/2023 – Integrated Tax

G.S.R. 708(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Integrated Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023 (31 of 2023), the Central Government hereby appoints the 1st day of October, 2023, as the date on which the provisions of the said Act, shall come into force.

[F. No. CBIC-20016/29/2023-GST]

RAGHAVENDRA PAL SINGH, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2023

सं. 03/2023-एकीकृत कर

सा.का.नि. 709(अ).— सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 5 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, ऑनलाइन धनीय गेम खेलने की पूर्ति को माल की पूर्ति के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके आयात पर धारा 5 की उपधारा (1) का परंतुक लागू नहीं होगा किंतु जिस पर एकीकृत कर उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन उद्घाटित और संग्रहित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-20016/29/2023-जीएसटी]

राघवेन्द्र पाल सिंह, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2023

No. 03/2023 – Integrated Tax

G.S.R. 709(E).— In exercise of powers conferred under proviso to sub-section (1) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Government, on the recommendations of the Council, notifies the supply of online money gaming as the goods on import of which the proviso to sub-section (1) of section 5 of the said Act shall not apply, but on which integrated tax shall be levied and collected under sub-section (1) of section 5 of the said Act.

2. This notification shall come into force on the 1st day of October, 2023.

[F. No. CBIC-20016/29/2023-GST]

RAGHAVENDRA PAL SINGH, Director